

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 52

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि एमएलए लैंड फंड को सैंक्शन करने में डूडा द्वारा बहुत विलम्ब किया जाता है?	कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व) जी नहीं। एम.एल.ए. फंड के मापदंडों के अनुसार एस्टीमेट/ प्रस्ताव/ दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सभी एम.एल.ए. लैंड फंड एस्टीमेट/ प्रस्ताव तुरन्त सैंक्शन कर दिये जाते हैं।
ख	यदि हों, तो इसके क्या कारण हैं?	कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व) उपरोक्त (क) के आधार पर लागू नहीं।
ग	डूडा के पास स्वीकृति हेतु पड़े ऐसे सभी प्रस्तावों का विवरण क्या है जिनमें 30 दिन के अंदर कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है, और	कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सिवाये जिला शाहदरा डूडा सेल के कहीं भी स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। । इसके लम्बित होने का कारण डूडा शाहदरा के खातों में पर्याप्त राशि का ना होना है।
घ	इन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?	कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व) उपरोक्त (ग) के आधार पर लागू नहीं।


R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat